"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 फरवरी 2011—माघ 16, शक 1932

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-5/2011/वा.कर (आब.)/पांच (5).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा पूर्व में इस संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक 10-9/2010/वा.कर (आब.)/पांच (16), दिनांक 06-02-2010 को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम-2 की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिए, उसके (सारणी के) कॉलम-3 में यथादर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है.

क्रमांक (1)	अनुज्ञप्ति का प्रकार (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
1	एफ. एल.-1ख अनुज्ञप्ति (अहाता अनुज्ञप्ति)	विदेशी मदिरा दुकान (एफ. एल.-1घ) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का 3 प्रतिशत

2. उक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 10-5/2011/वा.कर (आब.)/पांच (5).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2011/वा.कर (आब.)/पांच (5), दिनांक 05 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 5th February 2011

NOTIFICATION

No. F 10-5/2011/CT (Ex.)/V(5).—In Exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d), (e), (f), (g). and (h) of Sub-section (2) and proviso to Sub-section (3) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of rule 8 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession to the notification No. F 10-9/2010/CT(Ex.)/V (16), dated 06-02-2010 issued in this behalf, the State Government hereby prescribed the annual Licence fee as shown in coloumn 3 of the table below for licence mentioned in the corresponding entry in column 2 thereof :—

S.No. (1)	Kind of licence (2)	Annual Licence fee (3)
1.	F.L. 1 B Licence (Ahata Licence).	3 percent of annual Licence fee of Foreign Liquor Shop (F.L. 1D).

2. This amendment shall come into force with effect from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-6/2011/वा.कर (आब.)/पांच (6).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 9 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा पूर्व में इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, विदेशी मदिरा के ऐसे प्रत्येक नामपत्र (लेबल) के लिए, जिसका छत्तीसगढ़ में विक्रय किया जाए या जिसका छत्तीसगढ़ में परिवहन किया जाए या जिसका छत्तीसगढ़ में आयात किया जाय या जिसका छत्तीसगढ़ से निर्यात किया जाए, फीस के रूप में रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) केवल विहित करती है.

2. उक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 10-6/2011/वा.कर (आब.)/पांच (6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-6/2011/वा.कर (आब.)/पांच (6), दिनांक 05 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 5th February 2011

NOTIFICATION

No. F 10-6/2011/CT (Ex.)/V(6).—In Exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d), (e), (f), (g) and (h) of Sub-section (2) and proviso to Sub-section (3) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) pursuance of the provisions of sub-rule (3) of rule 9 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession to the notification issued in the past in this behalf, the State Government hereby prescribes Rs. 1,00,000/- (Rupees one lakh) only, as Registration fee for each label of Foreign Liquor which may be sold in Chhattisgarh or transported into Chhattisgarh or imported into Chhattisgarh and exported from Chhattisgarh.

2. This amendment shall come into force with effect from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-7/2011/वा.कर (आब.)/पांच (7).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा पूर्व में इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) एवं रेक्टीफाईड स्पिरिट. (आर.एस.) के निर्यात के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, निर्यात फीस दिनांक 01 अप्रैल 2011 से विहित करती है :—

निर्यात फीस

(क)	एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.)	रुपये 3.00/- (रुपये तीन) प्रति बल्कलीटर
(ख)	रेक्टिफाईड स्पिरिट (आर.एस.)	रुपये 1.00/- (रुपये एक) प्रति बल्कलीटर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 10-7/2011/वा.कर (आब.)/पांच (7).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-7/2011/वा.कर (आब.)/पांच (7), दिनांक 05 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 5th February 2011

NOTIFICATION

No. F 10-7/2011/CT (Ex.)/V(7).—In Exercise of the powers conferred by clause (d), (e), (f), (g) and (h) of Sub-section (2) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in supersession to the notification issued in the past in this behalf, the State Government hereby prescribed fee in respect of Export of Extra Neutral Alcohol (E.N.A.) and Rectified spirit (R.S.) from 1st April, 2011 as per given below :—

EXPORT FEE

(A)	Extra Neutral Alcohol (E.N.A.)	Rs. 3.00/- (Rs. Three) Per Bulk Litre.
(B)	Rectified spirit (R.S.)	Rs. 1.00/- (Rs. One) Per Bulk Litre.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-7/2011/वा.कर (आब.)/पांच (8).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-10/2010/वा.कर (आब.)/पांच (09) दिनांक 06 फरवरी 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा विदेशी मदिरा के निर्यात पर निर्यात फीस के रूप में रुपये 2.00/- (रुपये दो) प्रति प्रूफलीटर विहित करती है.

2. उक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2011 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 10-7/2011/वा.कर (आब.)/पांच (8).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-7/2011/वा.कर (आब.)/पांच (8), दिनांक 05 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 5th February 2011

NOTIFICATION

No. F 10-7/2011/CT (Ex.)/V(8).—In Exercise of the powers conferred by clause (d), (e), (f), (g) and (h) of Sub-section (2) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) read with sub-rule (13) of rule 18 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this Department Notification No. F 10-10/2010/ C.T.(Ex.)/V/(09) dated 6th February 2010, the State Government hereby prescribes Rs. 2.00/- (Rupees Two) per proof litre, as Export fee on export of foreign liquor.

2. This amendment shall come into force with effect from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-8/2011/वा.कर (आब.)/पांच (9).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-6/2010/वा.कर.(आब.)/पांच (7) दिनांक 3 फरवरी 2010 को इस संबंध में अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा प्ररूप एफ.एल.-9ए (विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के रूप में रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) केवल विहित करती है.

2. उक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 10-8/2011/वा.कर (आब.)/पांच (9).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-8/2011/वा.कर (आब.)/पांच (9), दिनांक 05 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 5th February 2011

NOTIFICATION

No. F 10-8/2011/CT (Ex.)/V (9).—In Exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d), (e), (f), (g) and (h) of Sub-section (2) and proviso to Sub-section (3) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of rule 8 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this Departments Notification No. F 10-6/2010/C.T. (Ex.)/V (7)-dated 3rd February 2010, the State Government hereby prescribes Rs. 2,00,000/- (Rupees Two lakh) only, as annual license fee for F. L.-9A (Special Bottling license).

2. This amendment shall come into force with effect from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.